

नारायणसिंह

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

२०/११/६

वकील वादी एवं नम्र वादी उपस्थित। अतिवारी वकील

Chand...

२०/११/६

उपस्थित। उन्हेन वादी एवं वादी वकील की अनुपस्थिति में वाद खारिज
करने का निर्देश किया। वादी एवं वादी वकील को आदेश दिया कि

जारी पर-लु-उन्ही कोर्ट से दफातर उन्हेन ठक कोर्ट उपस्थित नहीं
आया एवं प्रकरण अदालत राजिरी अदालत परेशी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फिलहाल सुनाने के लिए नवंबर के १६ को होना है।

Handwritten signature/initials

वकील उपस्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

